पहाड़ी कोरवा सदस्यों का बनाया गया आधार कार्ड

निर्धारित शिविर स्थानों में करा सकते हैं अपना आधार पंजीयन

5 सितंबर तक आयोजित होगा शिविर

(लोकमाया न्यूज)।

बलरामपुर। मुख्यमंत्री के मंशानुरूप पीएम जनमन योजना अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग को मुख्य धारा से जोड़ने निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पीवीटीजी समुदायों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत विशेष रूप से पिछड़े जनजाति समूह की सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए पीएम जनमन के तहत शिविर लगाकर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में

आधार से वंचित छुटे हुए पहाड़ी कोरवा सदस्यों का आधारकार्ड बनाने हेतु कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। छुटे हुए पहाड़ी कोरवा सदस्य निर्धारित शिविर में जाकर अपना आधार पंजीयन करा सकते हैं। यह शिविर 05 सितंबर तक चिन्हांकित स्थानों में आयोजित किया जाएगा। लोग अपने नजदीकी केंद्र में जाकर अपना और अपने पूरे परिवार का आधार कार्ड पंजीयन करा सकते हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत पस्ता, सरगवां, गोविंदपुर, सबाग, इदरीकला, सुखरी, भोंदना, विनायकपुर, अमेरा, पटना, हरगवां, चिरई, दुर्गापुर, गम्हारडीह, भरतपुर, करां, डिगनरग, अखोराखुर्द, अमदरी, मुरका, लाउ, पहाड़खड़ुवा, उफिया, कोटागहना, घोरघड़ी, अमड़ीपारा, भदार, भिलाईखुर्द में आयोजित शिविर में पहाड़ी कोरवाओं का आधार कार्ड पंजीयन किया गया। अब उन्हें भी शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड बनाए जाने हेतु 04 सितंबर को विकासखण्ड बलरामपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चिलमा, सरगवां, गोविंदपुर, विकासखण्ड कुसमी अंतर्गत सबाग, चटनीया, कुरडीह, विकासखण्ड शंकरगढ़ अंतर्गत भोंदना, करासी, जोकापाट, जम्होर, भुनेश्वरपुर, चिरई, दुर्गापुर, गम्हारडीह, भरतपुर, विकासखण्ड राजपुर अंतर्गत झिंगो, लाउ, पतरापारा, अलखडीहा, बाड़ीचलगली, बादा, आरा, सेवारी, करजी, पहाड़खड़ुवा, उधवाकठरा में शिविर का आयोजन होगा।

उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में ऋषि पंचमी–नुआखाई पर अवकाश

उत्कल समाज को राजधानी रायपुर में सामाजिक भवन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जमीन

(लोकमाया न्यूज)।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के गांस मेमोरियल मैदान में महापर्व नुआखाई के अवसर पर उत्कल गाड़ा समाज द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए ऋषि पंचमी–नुआखाई के दिन उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में अवकाश की घोषणा की। उन्होंने समाज की मांग पर उत्कल समाज को राजधानी रायपुर में सामाजिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने और बूढ़ी मां मंदिर के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने समाज को यह भी आश्वस्त किया कि उत्कल गाड़ा समाज के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा,मोतीलाल साहू, उत्कल समाज के संत श्री उदयनाथ महाराज और

गगन विहारी महाराज सहित उत्कल गाड़ा समाज के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने उत्कल गाड़ा समाज को नुआखाई की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नुआखाई के पांच दिन पहले ही समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन नुआखाई को लेकर उनके उत्साह और समाज की एकजुटता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि समाज बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। अपने बेटा–बेटियों को पढ़ाएं। युवा पीढ़ी नशा–पान की सामाजिक बुराई से दूर रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि समाज की उचित मांगों को पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड़िशा हमारा पड़ोसी राज्य है। ओड़िशा के साथ छत्तीसगढ़ का गहरा नाता है। ओड़िशा के साथ हमारा गहरे सामाजिक और सांस्कृति संबंध हैं। नुआखाई उत्कल समाज का प्रमुख त्यौहार है, तो छत्तीसगढ़ में भी नुआखाई का बड़ा महत्व है। आदिवासी समाज भी नई फसल आने पर नुआखाई का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाता है। नुआखाई पर नई फसल घर ले जाकर पूजा–अर्चना की जाती है। इससे चावल और चुड़ा बनाकर अपने ईष्ट देव को अर्पित कर अच्छी फसल, सुख–समृद्धि और सुखमय जीवन की कामना करते हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले आठ महीनों में नई सरकार द्वारा मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, तो लोगों का यह कहना रहता है कि राज्य सरकार सांय–सांय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने आठ माह में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा गया। राज्य सरकार ने 24.72 लाख किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। कल तीजा–पोरा पर्व के आयोजन पर 70 लाख से अधिक माता–बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की सातवीं किस्त की एक–एक हजार रूपए की राशि जारी की गई।

कलेक्टर ने राम लला दर्शन के जत्था को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

(लोकमाया न्यूज)।

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्टोरेट परिसर सारंगढ़ से राम लला दर्शन योजना अंतर्गत चौथे जत्था को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विगत तीन माह से प्रत्येक माह 30 व्यक्तियों का दल प्रभु राम के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं के देखरेख के लिए एक केयरटेकर के रूप में संलग्न कर भेजा गया है। सभी श्रद्धालुओं को जिले से बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक बस से, फिर बिलासपुर से अयोध्या तक रेल से ले जाया जाएगा। वहां प्रभु रामचन्द्र जी के दर्शन के बाद दल की वापसी होगी। इसी क्रम में अयोध्या से बिलासपुर रेल से और बिलासपुर से सारंगढ़ जिला मुख्यालय तक वापसी बस से होगी। यात्रा के प्रारंभ से अंत तक भोजन, बस, रेल आदि की सेवा छत्तीसगढ़ सरकार के योजना के तहत निःशुल्क है। सभी श्रद्धालुओं के रवानगी के पूर्व मेडिकल चेकअप किया गया था। सभी श्रद्धालु नागरिकों ने रवानगी के पूर्व भगवान रामचन्द्र जी का भजन किया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक जुगल किशोर केशरवानी, अमित अग्रवाल, मनोज जायसवाल, समाज कल्याण विभाग के प्रभारी अधिकारी विनय तिवारी, डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल सहित वरिष्ठ नागरिक अब्बास अली उपस्थित थे।

16 अक्टूबर तक बुनियादी साक्षरता को बेहतर बनाने के लिए रीडिंग कैम्पेन का आयोजन

सूरजपुर। एससीईआरटी एवं रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में बुनियादी साक्षरता कौशल में सुधार एवं बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु राज्यस्तरी पढ़न अभियान 02 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रीडिंग कैम्पेन आयोजित किया गया हैं। यह अभियान बुनियादी साक्षरता को बारे में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों में पढ़ने का आनंद और रूचि विकसित करने के लिए समुदाय, शिक्षकों, सरकार और बच्चों को एकजुट करता है।

वन अधिकार पत्र धारकों के संबंध में दिशा निर्देश

सूरजपुर। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु 'बैत होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का नामांतरण एवं राजस्व/ वन अभिलेखों में दर्ज करने और अन्य भूमि सबंधित कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रक्रिया अधिसूचित किया गया हैं।

स्वाइन फ्लू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में सीएमएचओ ने जारी की एडवायजरी

(लोकमाया न्यूज)।

बलरामपुर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह ने बताया कि कई जिलों में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है इसके लिए स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इस संबंध में उन्होंने बताय है कि जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू के मरीज नहीं मिले हैं व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क होकर कार्य कर रही है। डॉ. सिंह ने स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी देते हुए बताया की यह वायरस के कारण होने वाला श्वसन रोग है। जो सूअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। यह मौसमी फ्लू की तरह संक्रामक है। एच–1 एन–1 वायरस के कारण, मनुष्यों में फैलने वाले स्वाइन फ्लू वायरस का मुख्य मार्ग आपका चेहरा है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छिकता या खांसता है और वायरस संभावित स्लेष्म सतहों में प्रवेश करता है। यह तब भी फैल सकता है जब कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित किसी चीज को छूता है और बाद में अपनी नाक, मुंह या आँख को छूता है।

स्वाइन फ्लू के लक्षण

इसके लक्षण सामान्य फ्लू के लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, ठण्ड लगना, दस्त की शिकायत और थकान के जैसे होते है। स्वाइन फ्लू की स्थिति गंभीर होने पर निमोनिया, सांस लेने सम्बन्धित समस्याए हो सकती है। अस्थमा और डायबिटीज के मरीजों को स्वाइन फ्लू होने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इम्पलुएंजा की तरह ही स्वाइन फ्लू का भी प्रसार होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छिकने के बाद हवा में फैले वायरस से लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ सकते हैं। संक्रमित मरीज द्वारा छुई चीजों के संपर्क में आने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने से लेकर बीमारी होने के 07 दिन बाद तक वायरस फैल सकता है।

स्वाइन फ्लू से बचाव के उपाय

लोगों को स्वच्छता का पालन करना चाहिए, नाक को ढकना, खासते समय रुमाल या टिसु पेपर का ऊपयोग करना, फ्लू के संक्रमण से बचने के लिए आँख, नाक या मुंह को छूने से बचना, भीड़ वाली जगहों पर जाना से बचना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क पहनना और हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए।

फ्लू के लक्षण दिखने पर तुरंत जाएं अस्पताल

स्वाइन फ्लू के उपचार में देरी नही होनी चाहिए, क्योंकि इससे जोखिम बढ़ सकता है और मृत्यु का खतरा हो सकता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह के रोगियों के शरीर के कमजोर होने या गर्भावस्था, वरिष्ठ नागरिकों को भी इससे अधिक सावधान रहना चाहिए। फ्लू के ऐसे लक्ष दिखने पर तुरन अस्पताल जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
कोंडागांव वनमंडल के काष्ठागार के नीलाम का संक्षिप्त विवरण

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दक्षिण कोंडागांव वनमंडल के अंतर्गत कोंडागांव काष्ठागार में संग्रहित ईमारती काष्ठ/जलाऊ काष्ठ का घोष विक्रय द्वारा निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि घोष विक्रय में भाग लेवें। घोष विक्रय की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित वनमंडल से प्राप्त की जा सकती है।

वन मंडल का नाम	काष्ठागार का नाम	नीलाम दिनांक व समय
कोण्डागांव	कोण्डागांव काष्ठागार	09.09.2024, प्रातः 9.00 बजे से

प्रजाति	नया वनोपज			अविक्रित वनोपज			योग		
	ई. काष्ठ (घ.मी.)	बल्ली/डेगरी (नग में)		ई. काष्ठ (घ.मी.)	बल्ली/डेगरी (नग में)		ई. काष्ठ (घ.मी.)	बल्ली/डेगरी (नग में)	
सागौन	0	0	0	3.151	2284	4	3.151	2284	4
साल	1160.170	762	176	2413.723	441	990	3573.893	1203	1166
बीजा	34.940	2	4	54.394	7	8	89.334	9	12
साजा	31.032	13	6	21.437	3	14	52.469	16	20
हल्दू	18.374	3	7	15.796	2	2	34.170	5	9
अन्य	34.162	17	11	48.666	7	3	82.828	24	14
औढो. बांस	0	0	0	15.187 N.T.			15.187 N.T.		
योग-	1278.678	797	204	2557.167	2744	1021	3835.845	3541	1225
औढो. बांस	0	0	0	15.187 N.T.			15.187 N.T.		

दूरभाष क्रमांक–दक्षिण कोंडागांव वनमंडल (07786–242303)

(1) प्रत्येक क्रेता को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक लॉट के संबंध में जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता है, उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1,000/- रूपये इसमें जो भी अधिक हो, जमा करना अनिवार्य है।
(2) क्रेता द्वारा नीलाम में बोली लगाने के पूर्व वर्ष 2024 का पंजीयन प्रमाण पत्र, GST प्रमाण पत्र एवं आपकर पेनकार्ड की छायाप्रति ई.एम.डी. कक्ष में जमा करना अनिवार्य है।
(3) विनिर्माता/उपभोक्ता/व्यापारी लायसेंस, GST कर एवं आपकर पेननंबर की छाया प्रति अनिवार्य रूप से जमा करने पर ही वर्क आर्डर जारी किया जावेगा।
(4) नीलाम में क्रय किये गये लॉटों का विक्रय मूल्य सहित विवरण ई.एम.डी. जमा पर्ची के पीछे अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
(5) GST की राशि का भुगतान पृथक से "कोण्डागांव वनमंडल कोण्डागांव" के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो कोंडागांव में देय हो, तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।

जी–242502193/4

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

NEW ERA ALKALOIDS & EXPORTS LIMITED

Registered Office: 408, Wallfort Ozone, Fafadih, Raipur (Chhattisgarh) 492001
[CIN NO: L24100CT1994PLC008842]
E-mail: neael@rediffmail.com, Telephone: 0771- 4030947, Website: www.neweraltd.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of New Era Alkaloids and Exports Limited ('the Company') will be held on **Friday, the 27th day of September, 2024 at 3:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the 30th AGM.

The AGM is convened in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under read with General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 read together with circular nos. 14/20 dated 8th April 2020,17/20 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 21/2021 dated 14th December, 2021, 02/2022 dated 5th May, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2023 dated September 25, 2023 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars" and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('Listing Regulations') read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with above circulars, the Notice of the 30th AGM together with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 is sent to those members electronically, whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s)/ Registrar and Transfer Agent of the Company.

The Notice of 30th AGM and the Annual Report for Financial Year 2023-24 is also be available on the Company's https://www.neweraltd.com/ websites of the Stock Exchange i.e. MSEI Limited at www.msei.in and on the website of CDSL - Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). Necessary arrangements have been made by the Company with CDSL to facilitate remote e-voting and e-voting during the AGM.

The members of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff date i.e 20th September 2024 shall be eligible to cast their votes by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast votes at AGM. The voting rights shall be in proportion to their shares of the paid -up equity shares capital as on the cut-off date. The remote e- voting period will be commenced on 24th September, 2024 from 10.00 A.M and ends on 26th September, 2024 at 5.00 P.M.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/ updated their E-mail ID with the Company are requested to register/update their E-mail ID with Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. by sending requests at beetalrta@gmail.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card and self attested copy of any other document (eg. Driving License, Passport, Aadhar Card etc.) in support of address of the members.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their E-mail IDs with their respective Depository Participant(s).

The company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting at the AGM shall be provided in the Notice. This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA circulars.

BY ORDER OF THE BOARD
FOR NEW ERA ALKALOIDS AND EXPORTS LIMITED
Sd/- **KHUSHBOO RATHI**
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Date: 03.09.2024
Place: Raipur

कार्यालय सेनानी, पुलिस प्रशिक्षण शाला, जगदलपुर, जिला–बस्तर छ.ग.

E-mail:aptsjdr@gmail.com
क्रमांक:– पीटीएस/सा.अ./निविदा/आर/285–B/2024 जगदलपुर, दिनांक 27/08/2024

// निविदा आमंत्रण सूचना //

सेनानी, पुलिस प्रशिक्षण शाला, जगदलपुर में नीचे उल्लेखित निर्माण कार्य लिए ई पंजीकृत ही श्रेणी एवं उच्च श्रेणी ठेकेदार से प्रभावी अनुसूची दर 01.01.2015 के अनुसार निर्माण कार्य के लिए मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यालय से कोरे फार्म बिक्री की अंतिम तिथि 13/09/2024 समय अपरान्ह 5.30 बजे तक। पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 19/09/2024 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि 19/09/2024 समय अपरान्ह 4.00 बजे। निविदा खोलने का स्थान– कार्यालय सेनानी, प्रशिक्षण शाला, लालबाग जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) है।

क्र.	कार्य का नाम व कार्य स्थल	प्रशासकीय स्वीकृत राशि	परोहर राशि
01	इकाई में नव आरक्षकों के लिए 10 नग शौचालय निर्माण कार्य	5,44,500.00	4,100.00

नोटः– 01 निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र के साथ चालान (लेखा शीर्ष 0055–पुलिस मिसलेनियस, 800–अन्य प्राप्तियां शीर्ष में राशि रु. 750/– जमा किया) की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।
02. निविदा संबंधित अन्य जानकारी हेतु कार्यालय सेनानी, पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग जगदलपुर के कार्यालयीन दिवस/ समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।

सेनानी
पुलिस प्रशिक्षण शाला
जगदलपुर

जी–242502172/3

NATURA HUE CHEM LIMITED

Registered Office: 408, Wallfort Ozone, Fafadih, Raipur (Chhattisgarh) 492001
[CIN NO: L24117CT1995PLC009845]
E-mail: naturahue@rediffmail.com, Telephone: 0771- 4030947

NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)NOTICE

is hereby given that 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Thursday, the 26th Day of September, 2024 at 3:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the ordinary and special business as set out in the Notice of the AGM dated 20th of August, 2024.

The AGM is convened in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under read with General Circular No. 20/2020, 02/2021, 17/2020, 14/2020, 2/2022 and 10/2022 dated May 5, 2020, January 13, 2021, April 13, 2020, April 8, 2020, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('Listing Regulations') read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with above circulars, the Notice of the 29th AGM together with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 is sent to those members electronically, whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s)/ Registrar and Transfer Agent of the Company.

The Notice of 29th AGM and the Annual Report for Financial Year 2023-24 is also be available on the Company's website at https://www.naturahuechem.com/ websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and on the website of CDSL - Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'). Necessary arrangements have been made by the Company with CDSL to facilitate remote e-voting and e-voting during the AGM.

The members of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff date i.e 19th September 2024 shall be eligible to cast their votes by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast votes at AGM. The voting rights shall be in proportion to their shares of the paid -up equity shares capital as on the cut-off date. The remote e- voting period will be commenced on 23rd September, 2024 from 10.00 A.M. and ends on 25th September, 2023 at 5.00 P.M.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/ updated their E-mail ID with the Company are requested to register/update their E-mail ID with Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. by sending requests at beetalrta@gmail.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of any other document (eg. Driving License, Passport, Aadhar Card etc.) in support of address of the members.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their E-mail IDs with their respective Depository Participant(s).

The company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting at the AGM shall be provided in the Notice. This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA circulars.

BY ORDER OF THE BOARD
FOR NATURA HUE- CHEM LIMITED
Sd/- **Mansoor Ahmed**
Managing Director. DIN: 01398796

Date: 03.09.2024
Place: Raipur

ASHOKA REFINERIES LIMITED

Reg. Off: 408, Wallfort Ozone, Fafadih, Raipur (Chhattisgarh) 492001, PH-07714036578
CIN NO: L15143CT1991PLC006678
www.ashokarefineries.com, Email: arlraipur@yahoo.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Ashoka Refineries Limited ('the Company') will be held on **Monday, the 30th day of September, 2024 at 3:30 p.m. (IST)** through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM is convened in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under read with General Circular No. 20/2020 dated May 5,2020 read with General Circular Nos. 02/2021,17/2020, 14/2020, 2/2022 and 10/2022 dated January13,2021, April13,2020, April 8,2020, May 5,2022 and December 28,2022 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('Listing Regulations') read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD- 2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with above circulars, the Notice of the 33rd AGM together with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 sent to those members electronically whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s)/ Registrar and Transfer Agent of the Company.

The Notice of 33rd AGM and the Annual Report for Financial Year 2023-24 is also be available on the Company's https://www.ashokarefineries.com/ and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL - Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'). Necessary arrangements have been made by the Company with CDSL to facilitate remote e-voting and e-voting during the AGM.

The members of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff date i.e Monday, 23rd September 2024 shall be eligible to cast their votes by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast votes at AGM. The voting rights shall be in proportion to their shares of the paid -up equity shares capital as on the cut-off date. The remote e- voting period will be commenced on 27th September, 2024 from 10.00 a.m and ends on 29th September, 2024 at 5.00 p.m.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/ updated their E-mail ID are requested to register/update their E-mail ID with Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. by sending requests at beetalrta@gmail.com with details of folio number. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their E-mail IDs with their respective Depository Participant(s).

The company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting at the AGM shall be provided in the Notice. This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA circulars.

For Ashoka Refineries Limited
Sd/
Garima Mogha
Company Secretary

Date: 03.09.2024
Place: Raipur